दि० 20-6-2018

आज यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से जिला कलक्टर द्वारा अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत के माध्यम से पेश हुई। विचाराधीन प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामील/वारण तामील प्राप्त नहीं हुये हैं सुनवाई के दौरान प्रार्थी के पुत्र के तरफ से वकील प्रार्थीगण वकील कवि मेघपुर उपस्थित तथा वकील अप्रार्थीगण सूचना के बावजूद हाजिर नहीं है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मय 212 RT Act पर संक्षिप्त बहस करने से एकतरफा संक्षिप्त बहस सुनकर उनपर गहनतापूर्वक मनन किया। विचाराधीन प्रकरण की पत्रावली के संलग्न प्रार्थना पत्र मय 212 RT Act तथा संलग्न खाता नं. 18 फसली जमाबंदी संवत 2071-2074, खाता नं. 13 फसली जमाबंदी संवत 2050-2053 किस्म न० क्षेत्रफल, अकृषि ट्रेस, ईश्तरनामा दि० 3-10-1998, अप्रार्थी सं० 1 के जरिये वकील आपत्ति व जवाब का गंभीरता से अध्ययन कर इस पर मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रकरण में रेकर्ड अनुसार तथ्यतः स्वीकृति स्थिति यह है कि पत्रावली के संलग्न बादशत्त फसली नकल की फसली जमाबंदी संवत 2071-2074 खाता नं. 13 के खसरा नं. 110, 113, 172, 193, 194, 195, 196 किस्म न कुल क्षेत्रफल 2.7000 हेक्टेयर में कपूरा गोमा पि० डोला 2/3 (प्रार्थी सं० 1 तथा अप्रार्थी सं० 1) एवं गोपाल, महेन्द्र पि० हुकमा 1/3 जाति सुनार सुपुत्र (वादी सं. 2 व वादी सं. 3) का संयुक्त खातेदारी व कब्जेदारी प्राप्त की है तथा बादशत्त नकल अविभाजित है तथा उक्त खातेदार सहहिस्सेदार भी है।

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page

राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा-201

App-A
Crim-I

FORM NO - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (ए.डी.एम.) सिरोही मुकाम

कपुरा बगैरा बनाम गोमाराम वगैरा

किस्म मुकदमा 200 आर.टी.ए. अ० धा० 212 R.T.A. 200 आर.टी.ए. नं. 236/2016

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हये
20-6-2018	विचाराधीन प्रकरण अ०धा० 212 R.T.Act का है जिसमे प्रार्थी ने बादशुल्क कृषि भूमि में प्रार्थी के हक हिस्से के कब्जे वापस की भूमि में अप्रार्थी सं.01 या उसके एजेण्ट किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थी सं.01 चाही है। विचाराधीन प्रकरण अ०धा० 212 R.T.Act के तहत प्रथम दृष्टया मामला जो शाईस्तगी पर आधारित हो तथा कब्जेदारी संबंधी साक्ष्य व सुरक्षनीय स्थिति संबंधित पक्षकार को साक्ष्य सबूत से साबित करना होता है। विचारत प्रकरण में प्रार्थी बादशुल्क कृषि भूमि का संयुक्त खातेदार कृषक है तथा मौके पर अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया शाईस्तगी व आधिपत्य तथा सुरक्षनीय स्थिति तीनों ही बिन्दु का निर्णय प्रार्थीगण के पक्ष में जाना जाहिर होता है। अतः उपरोक्त स्थिति के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अ०धा० 212 R.T.Act का विरुद्ध अप्रार्थी सं.01 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं.01 के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थी सं.01 को तारीखेसमा बाद पाबन्द किया जाता है।	

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

Continue page

मौजा [illegible] बटवार हल्का [illegible]
[illegible] तहसील सिरोही में स्थित [illegible]
कृषि भूमि खा.नं. 110, 113, 172, 193, 194,
195, 196 स्थित। कुल रकबा 02.7000
हेक्टेयर में जो संयुक्त खातेदारी की
कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी सं.01 तथा
अप्रार्थी सं.01 का 2/3 हक हिस्सा
संयुक्त रूप से है उक्त 2/3 हक
हिस्से में से प्रार्थी के कब्जे काश्त
व हक अधिकार की कृषि भूमि में
प्रार्थी के कब्जे काश्त में कोई प्रकार
की दखलंदाजी न हो अवैध कब्जे तथा
न ही अपने एजेन्ट, नौकरों से जरिये
निर्णय 20 लाख रूपये मूल्य छोटे सिंचाई
में मुझसे नाम से सुनाया। पत्रावली
पेश्तर शुमार होकर नंबर से कम हो।

दिनांक
20/6/18

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)